प्रेस विज्ञप्ति

24.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने मेसर्स व्यूएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेटाबेस और डेटा प्रोसेसिंग सेवाएँ प्रदान करने के बदले में भारी और अनियमित विदेशी आवक प्रेषण की प्राप्ति की जांच के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत 17.10.2024 को मोहाली (पंजाब), नई दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और मुंबई (महाराष्ट्र) में चौदह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

उक्त कंपनियों के कार्यालय परिसरों और उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के आवासों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी में 30.50 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 6410 यूरो की विदेशी मुद्रा, 3062 यूएसडी, 05 सिंगापुर डॉलर, 2750 स्विस फ्रैंक, डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ की बरामदगी और जब्ती हुई है। ।

आगे की जांच जारी है।